न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 174/2023

प्रमाणित प्रतिलिपि
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीगंगानगर

मखनसिंह **बनाम** **बंशी**

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

दिनांक :– 13.05.2024

–:: आदेश ::–

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी द्वारा उपरोक्त शीर्षक का वाद स्वयं को, प्रार्थी/प्रतिवादी बन्शी की माता गोगा देवी द्वारा प्लॉट काट कर बेचान करने का कथन करते हुए, अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 10दृजैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर करे मुरब्बा नम्बर 41, किला नम्बर 3/2 में 0.147 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 में 0.253 हैक्टेयर में से वादी द्वारा एक प्लॉट खरीदा गया है तथा दिनांक 27.08.2001 को कब्जा प्लॉट का प्राप्त कर लिया। इसलिये वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। श्रीमान् जी, विस्तृत तथ्यों हेतु कृपया वाद पत्र का अवलोकन फरमायें। मौजूदा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सपठित धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण महज वाद पत्र के अभिवचनों से किया जाना है जिस हेतु जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। विधिक प्रावधानों के तहत बोगस क्लेम पर आधारित वादों को गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों के तहत न्यायालय की वाद पत्र के अभिवचनों से इस सन्दर्भ में सन्तुष्टि होने पर कि वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक नहीं है एवं न ही वाद हेतुक प्रकट होता है एवं वाद किसी भी विधि से वर्जित है तो न्यायालय वाद को प्रथम चरण पर ही, बिना आयन्दा विचारण, निरस्त कर सकती है। माननीय न्यायालय वाद पत्र के ऊपर लिखे वादी एवं प्रतिवादी के नाम व पते का अवलोकन करे तो वादी, जो कि जट सिख जाति का है तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण, जो कि अनुसूचित जाति के नायक हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) में स्पष्ट वर्णित है कि किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी, यदिः–

(क) विलोपित

(ख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो, जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो ।

इस प्रकार जो बेचान करना बताया गया है, वह धारा 42 (बी) के अन्तर्गत शून्य है तथा इसलिये उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त वाद कानून में वर्जित होने के कारण विधि से बाधित है एवं इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित प्रतिलिपि

वादी द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, वादी वह वाद पत्र की चरण संख्या 2 के अनुसार इकरारनामा के आधार पर लेकर आया है तथा चरण संख्या 2 में लिखा है कि "वादी ने गोगा देवी के प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा प्लॉट खरीदना तय किया जिस पर 28,000 /– रुपये तय किया तथा तमाम राशि प्राप्त करके वादी को उपरोक्त प्लॉट दिनांक 27.08.2001 को बैय कर कब्जा सौंप दिया और उक्त इकरारनामा वादी की जानकारी में है। ऐसी स्थिति में इकरारनामा के आधार पर जरिये वाद राजस्व न्यायालय में चुनौती दी गई है, जबकि इकरारनामा, बैयनामा के विरुद्ध वाद सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है । सक्षम अधिकारिता वाली दीवानी न्यायालय ही पंजीकृत दस्तावेज को शून्य अथवा प्रभावहीन अथवा लागू घोषित कर सकती है। इसलिये वाद दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण भी विधि से वर्जित है एवं इसी स्तर पर, बिना आयन्दा विचारण निरस्त किये जाने योग्य है। वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी को धारा 88, 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं होने के कारण, भूमि का बेचान प्रारम्भ से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (बी) से शून्य है तथा बैयनामा, इकरारनामा आदि को शून्य घोषित करवाने सम्बन्धी वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है । वाद वादी दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण इसी स्तर पर, बिना आयन्दा विचारण निरस्त किये जाने योग्य है। विधि के प्रावधान इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं कि बिना अधिकारिता के न्यायालय में बोगस क्लेम पर आधारित वादों को प्रथम स्तर पर ही दबा देना न्यायालय का कर्त्तव्य है जिससे कि न्यायालय का कीमती समय अनावश्यक नष्ट न हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी हैं जिनका सर्वप्रथम निर्णय किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दुओं पर एवं सद्भाविक तथ्यों पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 (क), सपठित धारा 151, सी०पी०सी० प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवानी वाद, वाद हेतुक के अभाव में तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर, बिना आयन्दा विचारण, सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी की माता गोगा देवी द्वारा चक 10 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा मु0नं0 41 किला नं0 3/2 में 0.147 हैक्टेयर, किला नं0 4 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 5 में 0.253 हैक्टेयर रकबा में से रकबा दिनांक 27–08–2001 को खरीद किया, तब से लेकर आज तक जमीन का कब्जा वादी के पास चला आ रहा है, अब भी मौके पर कब्जा वादी के पास चला आ रहा है। चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र के अभिकथन जिस तरह से दर्ज की गई है, स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा जो अपने प्रार्थना पत्र पर एतराज प्रस्तुत किए है व एतराज अपने जवाबदावा में उठा सकता है। इसलिए भी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है इसलिए अलावा वादी को सुनकर एवं जांच करने बाद ही दावा दर्ज किया गया है तथा अभी तक प्रतिवादीगण की तलबी होनी शेष है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी गोगा देवी द्वारा बेचान करते समय यह विश्वास दिलाया था कि इस भूमि को कनवर्जन करवाकर आपको रजिस्टरी बैयनामा करवा दूंगी तथा प्रतिवादी की माता ने कनवर्जन ना करवाने की वजह से अब भूमि कृषि भूमि जमाबंदी में दर्ज होने के कारण इसमें धारा 42 (ब) का प्रावधान लागू नहीं होता इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी की माता ने अपने इकरारनामा में यह लिखकर दिया था कि जमीन कनवर्जन करवाने के बाद रजिस्टरी बैयनामा करवा दूंगी। इस जमीन का कुछ हिस्सा कनर्वट करके दिया था तथा कुछ हिस्सा रहता था, जो वादी को कुछ हिस्सा को बेचान कर दिया था तथा यह कहना भी सरासर गलत है कि दस्तावेज़ शून्य हो, बल्कि कहने मात्र से दस्तावेज शून्य नही माना जा सकता इसलिए भी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है ।प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है, बल्कि गोगा देवी द्वारा वादी को यह कहा कि उपरोक्त जमीन कनर्वट करवाकर मैं रजिस्टरी बैयनामा करवा दूंगी जिस पर विश्वास करते हुए वादी ने उसे तमाम राशि सौंप दी तथा जमीन का कब्जा दिनांक 27–08–2001 को प्राप्त कर लिया, तब से लेकर इस जमीन का कब्जा वादी के पास है। वादी ही इस जमीन का लगान आदि जमा करवा रहा है, जबकि प्रतिवादी की माता द्वारा वादी को कब्जा सौंप दिया है, तो कानूनन प्रतिवादी को यह अधिकार नहीं है कि वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करें क्योंकि वादी उपरोक्त जमीन पर जबरन कब्जा करने व आगे बेचान करने के फिराक में है इसलिए वादी अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है इसलिए वादी वाद दायिर कर सकता है इसलिए वादी का वाद जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है बल्कि वहीं बतौर खरीददार के आधार पर भूमि पर काबिज है तथा जमीन का लगान भी वादी जमा करवा रहा है तथा जमीन का कब्जा 23 वर्षो से वादी के पास शांतिपूर्वक चला आ रहा है। शांतिपूर्वक कब्जा से वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नहीं किया जा सकता है। वादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है इसलिए वाद जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है तथा वाद सुनने का अधिकार भी जनाबवाला को है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है क्योंकि वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है । वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रतिफल राशि देकर खरीद की गई है तथा वादी का कब्जा 12 वर्ष से अधिक होने की वजह से वादी इस जमीन का खातेदार हो चुका है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी का जो भी एतराज है, अपने जवाब दावा में उठा सकता है, उसके बाद तनकीयात कायम होगी। इन बिन्दुओं का फैसला साक्ष्य आने बाद ही किया जा सकता है। इस स्तर पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता । उजराद मजीद– वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया है तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु चल रहा है इसलिए कानूनन इस स्तर पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता तथा प्रतिवादी का एतराज करने का कानूनन अधिकार नहीं है। वादी द्वारा जो इस प्रार्थना पत्र पर जो एतराज किया है, वह साक्ष्य आने के बाद ही तय किया जा सकते है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है । प्रतिवादी द्वारा जो इस प्रार्थना पत्र पर एतराज पेश किए गए है, वह इस स्तर पर चलने योग्य नहीं है क्योंकि जो भी प्रतिवादी को अपना कोई एतराज है तो वह पहले अपना जवाब दावा पेश करे उस जवाब दावा में अपना एतराज उठा सकता है प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नही किया जा सकता इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है । यह कि प्रतिवादी इस केस को लम्बा करना चाहता है इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया वह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी. ए. का प्रस्तुत किया गया तथा चक 10 जैड के मु.नं. 41 के किला नं 3/2 में 0.1470 हैक. किला नं. 4 में 0.253 है किला नं. 5 में 0.253 हैक. रकबा कुल 0.653 हैक. रकबा वादी के नाम खातेदारी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अनुतोष चाहा गया जिसमें प्रतिवादी के हाजिर आने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है उसमें जो अनुतोष चाहा गया है वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वह रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है तथा ना ही उसका नाम जमाबंदी में है। क्योंकि ना ही उसे किसी प्रकार का बेचान हो सकता है। क्योंकि कृषि भूमि अनुसूचित जाति की है जबकि वादी मखन सिंह जट सिख सामान्य जाति से आता है। इसलिए उक्त वाद धारा 42(बी) आर.टी.ए. प्रभावित होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त'– [Citation:RLW2017(2) Rev. 827], [Citation: RLW 2018(2) Rev. 1218] पेश किये गये। जवाब बहस में वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि प्रतिवादी की माता गोगा देवी द्वारा चक 10 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा मु0नं0 41 किला नं0 3/2 में 0.147 हैक्टेयर, किला नं0 4 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 5 में 0.253 हैक्टेयर रकबा में से रकबा दिनांक 27–08–2001 को खरीद किया, तब से लेकर आज तक जमीन का कब्जा वादी के पास चला आ रहा है, अब भी मौके पर कब्जा वादी के पास चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा जो इस प्रार्थना पत्र पर एतराज पेश किए गए है, वह इस स्तर पर चलने योग्य नहीं है क्योंकि जो भी प्रतिवादी को अपना कोई एतराज है तो वह पहले अपना जवाब दावा पेश करे उस जवाब दावा में अपना एतराज उठा सकता है प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नही किया जा सकता इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। वकील वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– [Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 1320], [Citation: 2022(2) DNJ (Rev.) 1376], [Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 940], [Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 694], –[Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 940], –[Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 30], –[Citation: 2021(1) DNJ (Rev.) 818], [Citation: 2022(2) DNJ (Rev.) 1324] पेश किये गये।

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा दस्तावेज इकरारनामा बैय फाईनल दिनांकि 27.08.2001 के द्वारा गोगा देवी बेवा मुनीराम से भूमि खरीद करना बताया गया है। वादी द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में अभिलिखित अभिवचनों के अवलोकन से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वादी अथवा प्रतिवादीगण इकरारनामा बैय फाईनल दिनांक 27.08.2001 के द्वारा वादी द्वारा खरीद की गई भूमि सही है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्णय वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य उपरान्त वाद के अन्तिम निर्णय के समय ही किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. 151 सी.पी.सी. न्यायिक दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)